



पत्रांक: 481/भावि/कुसका/2023

दिनांक : 24 अगस्त, 2023

कार्य परिषद् आकरिक बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 24 अगस्त, 2023 को अपरान्ह: 4:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकरिक बैठक की कार्यवाही :
 बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, मा० कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (रो.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010	न्यायिक सदस्य
3.	प्रो० जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायण वोक्शनल पी०जी० कॉलेज (के०के०बी०), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो० ललिता राव, (सेवानिवृत्त) बी०एड० विभाग उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी०जी० कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो० सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर-स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी०एस०जे०एम० यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	डॉ० तत्हीर फातिमा, संकायाध्यक्ष-विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी	सदस्य
8.	प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य-वाणिज्य सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो० सौवान सईद, आचार्य-उर्दू सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, आचार्य-उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	प्रो० चन्दना डे, आचार्य-शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	डॉ० मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य-शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	डॉ० अताउर्रहमान आजमी, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
14.	श्री साजिद आजमी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
15.	डॉ० भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

बिन्दु संख्या - 01 :

अध्यक्षा-अनुशासनिक समिति द्वारा प्रेषित बन्द लिफाफे को खोलते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

Amish

[Signature]

2/-



-2-

निर्णय :

अध्यक्षा-अनुशासनिक समिति द्वारा प्रेषित बन्द लिफाफे को कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों के समक्ष सर्वसम्मति से खोला गया। तत्क्रम में कार्य परिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2023 के बिन्दु संख्या-29.69 में लिये गये निर्णयानुसार डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य-राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में अनुशासनिक समिति की अनुशंसा के क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 8.11(1)(ग) सपठित 14.06 में विहित प्राविधानानुसार डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना के निलम्बन एवं उनको दिये जाने वाले आरोप-पत्र पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। कुलसचिव को अनुमोदित आरोप-पत्र को अनुशासनिक समिति को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

Smisha

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सचिव

[Signature]

(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष